जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

क्रमांकः- 644-650 दिनांक : 01-04-2020

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 04 पद रिक्त है। राजस्थान सरकार विधि (ग्रुप–2) विभाग की आज्ञा सं. प.8(1) विधि–2/विरसं(64)/2015 पार्ट/62 दिनांक 19.03.2020 के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक अथवा रिक्त पदों के भरने अथवा कार्मिक की आयु 65 वर्ष होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, हेतु उक्त रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा सेवा के अन्तर्गत **3 सेवानिवृत्त कार्मिक** लिये जाने है जिस हेतु सेवानिवृत्त कार्मिको से निम्न शर्तो के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जाते है –

1. किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

   परन्तु उच्चतर पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यधीन ली जा सकेगी।
2. केवल ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की पुनर्नियुक्ति संविदा सेवाऐं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हे किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
3. संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर वचनबंध एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए होना चाहिए, जिसे प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकता है बशर्ते संबंधित राजसेवक ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।
4. सक्षम अधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे।
5. सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न **परिशिष्ठ–'क'** के अनुसार होगी। उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा।
6. संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाऐं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। **(परिशिष्ठ–'ख')**
7. संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
8. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
9. संविदा पुनर्नियुक्ति, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
10. संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।

क्रमशः.....02

Scanned by CamScanner

न्याय विभाग/राज्य सरकार के अन्य विभागो से ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है वे कर्मचारीगण विज्ञप्ति के संलग्न आवेदनपत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त संवर्ग की सेवाएं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा में रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित संवर्ग में सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 07.04.2020 को कार्यालय समय (5:00 पीएम) तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

वर्तमान में कोरोना महामारी के दृष्टिगत सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन के दृष्टिगत इच्छुक आवेदक आवेदन मय आवश्यक दस्तावेजात इस कार्यालय के अधिकृत ई मेल dlsa4banswara@gmail.com पर उक्त नियत दिनांक व समय तक प्रेषित करें। आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/banswara से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। कोरोना संक्रमण के खतरे व लॉकडाउन आदेशों के दृष्टिगत आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे व्यक्तिशः प्राधिकरण के कार्यालय पर सम्पर्क नहीं करें तथा आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। विज्ञप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर इस कार्यालय के दूरभाष नम्बर 02962–241547 पर सम्पर्क कर सकते है।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांकः– 644-650 दिनांक : 01-04-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश .....
3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को समस्त विभागों/PSUs में सूचित करने हेतु प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को दिनांक ..... तक अवगत करावें।
4. बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयो के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु संबंधित न्यायालय .....
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बांसवाड़ा को अखबार में साया हेतु।
6. सिस्टम ऑफिसर अदालत हाजा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं.....दिनांक..... .....में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार मे संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुरः

दिनांकः

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पत्नी.....जो सेवानिवृत्ति से पूर्व.....
पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती.....
.....रू. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .....
अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती.....
.....के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

12/2014

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–'ख'

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला करार

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाऐं लेने के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र सं. .....दिनांक..... .....द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में निम्नलिखित करार राजस्थान सरकार, जिस अभिव्यक्ति में राज्यपाल की ओर से संविदात्मक करार करने के लिए सक्षम सरकार का प्राधिकारी सम्मिलित है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और श्री .....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... .....(जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के बीच किया जाता है। जिसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह करार किया जाता है :

1. संविदा वचनबंध द्वितीय पक्षकार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है। द्वितीय पक्षकार इस प्रयोजन के लिए किसी प्रशासनिक, अर्द्ध–न्यायिक या न्यायिक अनुतोष का अवलम्ब लेने का हकदार नही होगा।
2. द्वितीय पक्षकार द्वारा मूल विभाग के अधीन की गई पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की कोई सुसंगति नहीं होगी या उसे सेवा फायदों की किसी निरन्तरता के लिए गिना नहीं जायेगा।
3. संविदात्मक वचनबंध एक वर्ष की कालावधि के लिए या द्वितीय पक्षकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।
4. वचनबंध की संविदा कालावधि पर नवीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा परन्तु संविदात्मक वचनबंध की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..... .....का कार्य और आचरण संतोषजनक होना चाहिये। किसी भी दशा में संविदात्मक वचनबंध की निरन्तरता 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
5. संविदात्मक समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन प्रति मास .....रु. पर नियत की गई हैं कि समेकित पारिश्रमिक राशि सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) में से मूल पेंशन राशि कम करने पर अवशेष रही राशि से अधिक नहीं होगी। द्वितीय पक्षकार को पारिश्रमिक समनुदेशित कार्य के संतोषजनक निर्वहन पर निर्भर होगा। किसी कमी की दशा में प्रथम पक्षकार तद्नुसार पारिश्रमिक अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगा।
6. संविदात्मक वचनबंध 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

Scanned by CamScanner

7. द्वितीय पक्षकार एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।
8. प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
9. अधिकारिता के भीतर कार्य स्थान सक्षम प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार की ओर से विनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार को राजस्थान के भीतर या बाहर कहीं भी कार्य करने के लिए भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा।
10. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
11. द्वितीय पक्षकार द्वारा समस्त नियमों और विनियमों, निदेशों और आदेशों का अनुपालन किया जाना है जो पहले से ही प्रवर्तन में है और जो संविदा कालावधि के दौरान जारी किये जा सकते हों।
12. पक्षकारों के बीच किसी विवाद को ऐसे प्राधिकारी को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर दिनांक सहित

साक्षी:

1.

2.

प्रथम पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

साक्षी:

1.

2.

Scanned by CamScanner